

आदेश की क्रम
सं० और तारीख
1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
2

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी
तारीख सहित
3

न्यायालय:-उप समाहर्ता,भूमि सुधार,सदर आरा

भूमि विवाद वाद सं०- 101/14-15

मुस्मात प्रभावती कुर्वर-प्रथम पक्ष

बनाम

इन्द्रभान सिंह वगै० -द्वितीय पक्ष

आदेश


यह वाद, आवेदिका द्वारा बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 की धारा- 4(1)(घ) के अन्तर्गत विपक्षी के विरुद्ध निम्न भूमि पर लाया गया है।

मौजा थाना न० हाल सर्वे खाता हाल सर्वे खेसरा रकवा
महादेवा रोड 237 80 169 .0115
महाजन टोली हेक्टर (मकान)

उभय पक्ष को विधिवत सूचना निर्गत है तथा विपक्षी की ओर से कारण-पृच्छा दाखिल किया गया है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के दलील एवं दाखिल कागजात के आधार पर स्पष्ट है कि विवादित भूमि खास महल की भूमि है, जिस पर मकान बना हुआ है। मकान का विवाद है। खास महल की भूमि पर विचार करना इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर है। साथ ही स्वत्व को लेकर स्वत्व वाद व्यवहार न्यायालय में लम्बित है। इसलिए आवेदिका का आवेदन खारीज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।



उप समाहर्ता, भू०सु०
सदर आरा



उप समाहर्ता, भू०सु०
सदर आरा

शापं० 2125
दिनांक 15-11-19
प्रति नोटि -
N.S. राजगुरु
शाप के बखाना डेट
पर अपनों के जाते
हुए प्रेषित।

